फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

प्रभाती वगै0 **बनाम रामफूल वगै0**

किस्ममुकदमा–स्थगन प्रा0पत्र   नम्बर——————81/17/07/24 सन्– 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
22.5.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। स्थगन प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर करें। मूल प्रकरण के साथ पत्रावली दिनांक 23.7.2024 को पेश हो। Devendr जिला कलक्टर दौसा	
23.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थगन प्रा0पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 01 से 03 जाति से मीना है जो कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है बल्कि उनके जाति रस्म व रीति रिवाज ही लागू होते है। अनुसूंचित जनजाति के व्यक्तियों के हिन्दु उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होने के कारण पिता की संपत्ति मे पुत्रियो का कोई हक व अधिकार नहीं माना गया है। इसलिए मृतक महादेव की पुत्री तीजा व कल्ली का मृतक महादेव की कृषि भूमि या संपत्ति में किसी प्रकार का कोई कानून हक व अधिकार नहीं है। परन्तु पटवारी हल्का ने महादेव मृतक की विरासत का नामान्तरण सं0 972 अवैधानिक रूप से गोपाल, रामफूल पि. महादेव, तीजा कल्ली के नाम भी गैर कानूनी तरीके से विरासत का नामान्तरण भर कर उप तहसीलदार लवाण के समक्ष प्रस्तुत किया जिसको उप तहसीलदार लवाण ने तस्दीक कर दिया। अप्रार्थी तीजा व कल्ली ने उक्त अवैध नामान्तरण के आधार पर खातेदारी दर्ज कराकर अपने हिस्से का हकत्याग मृतक महादेव के पुत्र अप्रार्थी सं0 1 के नाम कर दिया। अप्रार्थी सं0 1 अवैधानिक खातेदारी के आधार पर विवादित भूमि खसरा नंबर 2147 से 2155, 2969, 2973 रकबा 2.47 है. खसरा नंबर 2145, 2146, 2707, 2817, 2818, 2891से 2894, 1974 से 1976 कुल रकबा 5.22है. भूमि को अवैधानिक रूप से विक्रय व रहन करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 इस नाजायज कार्यवाही में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व अपील पेश करने का मतलब ही समाप्त हो जावेगा। अतः अप्रार्थी नं0 1 को प्रतिबंधित किया जावे कि वाके ग्राम लवाण स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2147 से 2155, 2969, 2973 रकबा 2.47 है. खसरा नंबर 2145, 2146, 2707, 2817, 2818, 2891से 2894, 1974 से 1976 कुल रकबा 5.22है. को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करें। व उप पंजीयक लवाण को भी प्रतिबंधित किया जावे कि विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी रामफूल द्वारा द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी हस्तान्तरण विलेख को पंजीबद्ध न करें व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने स्थगन प्रा0पत्र पर बहस में दलील दी कि उप तहसीलदार लवाण द्वारा विरासत का नामान्तरण वारिसों के नाम नियमानुसार तस्दीक किया गया है। अतः स्थगन प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की स्थगन प्रा0पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं मूल नामा. अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यहां यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार के रहन व बेचान न करने व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने ... चाहा गया है कि जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से स्थगन प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। ... प्रा0पत्र मूल अपील के संलग्न रहे। Devendr जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 13:40:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official